



2. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 एवं पत्र दिनांक 14.09.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत (vertical) व क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे-आयु सीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस, आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे सामान्य (अनाक्षित) रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।
3. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
4. महिला, भूतपूर्व सैनिकों एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं विशेष योग्यजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) होगा।
5. किसी वर्ग विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अंतर- परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह महिलाओं से या विपर्ययेन, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह महिलाओं अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गई रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएंगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएंगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी। विधवा और विच्छिन्न विवाह महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जाएगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिला को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।
6. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार किसी वर्ग विशेष में जहां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण खाली रह जाती है तो उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जाएगी तथा तत्पश्चात ऐसी रिक्तियां व्यागत हो जाएगी।
7. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बेंचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी वर्ष में अग्रेषित की जाएगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बेंचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अंतरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जाएगा। यदि उस में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
8. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा CA No- 1085/ 2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा DBSAW No. 1116/ 2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर (अन्य राज्य) की महिला जो विवाहोपर्यंत राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे Public employment में एससी/ एसटी/बीसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा।
9. कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 5 (18) कार्मिक/ क-2/ 84 पार्ट 4 दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय होगा।
10. राजस्थान राज्य के आरक्षण संबंधी सभी प्रावधान कृषि विश्वविद्यालय, कोटा में प्रभावी होंगे।

## (2) आवेदन प्रक्रिया

1. उपर्युक्त विज्ञापित पदों हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से किए जा सकेंगे, जिसका विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.aukota.org](http://www.aukota.org) तथा <https://aukreruitment2023.com> पर उपलब्ध है।
2. उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.aukota.org](http://www.aukota.org) तथा <https://aukreruitment2023.com> पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन, आवेदन का निर्धारित शुल्क, विभिन्न पदों की योग्यता, परीक्षा की योजना (यदि लागू हो तो), अन्य विवरण एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें।
3. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों के लिए दिशा-निर्देश (Instructions for Applicants) विज्ञापन का ही भाग/ हिस्सा माना जायेगा।



4. विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई ऑफलाईन/हाथ से भरा हुआ आवेदन-पत्र एवं अन्य किसी भी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं किया जायेगा।
5. आवेदक जिस श्रेणी के लिए आवेदन करने हेतु पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन करें। अभ्यर्थी को किसी एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन किया जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी श्रेणी से संबंधित हो। किसी एक अभ्यर्थी द्वारा एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे/ मान्य नहीं होंगे।
6. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र व परीक्षा शुल्क रसीद की हार्ड कॉपी का प्रिन्ट आवश्यक रूप से निकाल लेंगे। जो आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।
7. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.aukota.org](http://www.aukota.org) तथा <https://aukreruitment2023.com> पर उपलब्ध विज्ञप्ति में वर्णित निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। कोई भी सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। तथा ऐसे निरस्त आवेदनों का शुल्क भी नहीं लौटाया जाएगा।
8. आवेदक को परीक्षा प्रवेश-पत्र संबंधी, साक्षात्कार या जोब टेस्ट एवं अन्य सूचनाएं वेबसाइट [www.aukota.org](http://www.aukota.org) तथा <https://aukreruitment2023.com> के माध्यम से ही सूचित की जायेंगी। इस सन्दर्भ में किसी प्रकार से डाक व अन्य माध्यम से सूचित नहीं किया जावेगा।
9. किसी तरह की पूछताछ हेतु आवेदक हेल्पलाइन नंबर **8949413543** पर कार्यालय समयावधि में प्रातः 11.00 बजे से 5.00 बजे तक सोमवार से शुक्रवार संपर्क कर सकते हैं या [support@aukreruitment2023.com](mailto:support@aukreruitment2023.com) पर ईमेल कर सकते हैं।

**(3) परीक्षा शुल्क :-** आवेदक को अपनी श्रेणी एवं आवेदित पद के अनुसार निम्नानुसार परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाईन जमा कराना होगा।

पद	आवेदक का वर्ग		
	सामान्य वर्ग (UR) व राजस्थान के क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग (BC)/ अति पिछड़ा वर्ग (MBC)	राजस्थान के नॉन-क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग (BC)/ अति पिछड़ा वर्ग (MBC) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	विशेष योग्य जन (SAP)/ राजस्थान की अनुसूचित जाति (SC)/ अनुसूचित जन जाति (ST) वर्ग तथा जिनकी पारिवारिक आय रुपये 2.50 लाख से कम हो
सहायक कुलसचिव	1600/-	1200/-	800/-
तकनीकी सहायक/ फार्म मेनेजर, लैब टेकनीशियन	1400/-	1000/-	700/-
आशुलिपिक, प्रयोगशाला सहायक, क्लर्क ग्रेड - द्वितीय, आशुलिपिक ग्रेड III, पुस्तकालय सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, केयर टेकर, वाहन चालक, वाहन चालक टी-1	1000/-	750/-	500/-

नोट:-

1. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित शुल्क देना होगा।
2. राज्य सरकार द्वारा सभी वर्गों के अभ्यर्थियों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत लिए गए निर्णय के क्रम में जारी परिपत्र दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्गों के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है, के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति के समान ही परीक्षा शुल्क देय होगा। इसके अनुसार राजस्थान राज्य के जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन के समय परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होने का विकल्प चुना गया है उन अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा जारी आय- प्रमाण

पत्र पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। राजस्थान राज्य से भिन्न आवेदकों को सामान्य वर्ग हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा।

**(4) आयु सीमा :** – उपर्युक्त विज्ञापित पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए।

विज्ञापित पदों के अनुरूप दर्शाए गए आरक्षित पदों हेतु विभिन्न वर्गों/ अन्य विशिष्ट श्रेणियों में अधिकतम आयु सीमा में छूट के प्रावधान निम्नांकित हैं:

क्र. सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियाँ	अधिकतम आयु सीमा में देय छूट
1.	राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति (SC)/ अनुसूचित जन जाति (ST), पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष एवं	5 वर्ष
2.	राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति (SC)/ अनुसूचित जन जाति (ST) एवं पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला	10 वर्ष
3.	सामान्य (अनारक्षित) वर्ग की महिला	5 वर्ष
4.	विधवा एवं विच्छिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला	अधिकतम आयु सीमा नहीं लेकिन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु से अधिक न हो।
5.	दिव्यांगजन	5 वर्ष

**नोट: –**

- उपर्युक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) है अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाएगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- उपर्युक्त उच्चतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोषसिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर Substantive तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था।
- उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र था, उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जाएगी।
- राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अंतर्गत शासन के कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 22-12-2020 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु इन नियमों के अधीन शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो उपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी किन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है वहां 55 वर्ष की अधिकतम उपरी आयु सीमा लागू होगी।
- जिन आवेदकों ने पूर्व में इस विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित अशैक्षणिक पदों की विज्ञापन संख्या कृविको/ 2017/ 03/ 8321, दिनांक 12-10-2017 तथा कृविको/ 2018/ 02, दिनांक 25-06-2018 के तहत भर्ती हेतु उन पदों पर आवेदन किया था जिनकी भर्ती प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा संपादित नहीं करवाई जा सकी, उन आवेदकों को इस विज्ञापन में उन पदों हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ पुनः आवेदन करना होगा। इन आवेदकों को रुपये 100/- के स्टाम्प पत्र पर किसी निगम/ बोर्ड/ सरकारी/ अर्धसरकारी/ स्वायत्तशासी संस्था में नियोजन अर्थात् नियुक्ति नहीं होने का शपथ पत्र (इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रपत्र) नोटरी द्वारा सत्यापित करवा कर अपलोड करना होगा। शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही इन अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट देय होगी एवं पुराना आवेदन शुल्क लौटाया जाएगा। कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ. 1 (3) डीओपी/ ए-II/ 2021 दिनांक 26.07.2021 के क्लॉज संख्या 16 (ix) के अनुसार इन आवेदकों को पूर्व आवेदित पद पर आवेदन हेतु आयु सीमा में अधिकतम 3 वर्षों की अतिरिक्त छूट देय होगी।

(5) वेतनमान :- उपर्युक्त विज्ञापित पदों हेतु चयनित अभ्यर्थी को दो वर्ष के परिदीक्षाकाल / प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में नियुक्ति दी जायेगी। परिदीक्षा काल के दौरान राज्य सरकार के नियमानुसार नियत / समेकित पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय है।

क्र. सं.	पद का नाम	राजस्थान सरकार के सातवें वेतनमान अनुसार देय वेतन लेवल	परिदीक्षा काल में प्रतिमाह देय नियत पारिश्रमिक (रुपये)
1.	सहायक कुलसचिव	L-14	39300/-
2.	तकनीकी सहायक / फार्म मैनेजर	L-11	26500/-
3.	लैब टेकनीशियन	L-10	23700/-
4.	आशुलिपिक	L-10	23700/-
5.	प्रयोगशाला सहायक	L-8	18500/-
6.	क्लर्क ग्रेड द्वितीय	L-5	14600/-
7.	आशुलिपिक ग्रेड III	L-5	14600/-
8.	पुस्तकालय सहायक	L-5	14600/-
9.	कृषि पर्यवेक्षक	L-5	14600/-
10.	वाहन चालक	L-5	14600/-
11.	केयर टेकर	L-5	14600/-
12.	वाहन चालक टी-1	L-4	13500/-

नोट: -उक्त दो वर्ष के परिदीक्षा काल व परिवर्धित अवधि यदि हो, की संतोषजनक रूप से पूर्णता पर ही नियमित पे मैट्रिक्स में वेतन एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे।

(6) अशैक्षणिक पदों की आवश्यक अनिवार्य योग्यताएँ व पात्रता पदवार निम्नानुसार है।

क्र. सं.	पद का नाम	आवश्यक अनिवार्य योग्यताएँ एवं पात्रता
1.	सहायक कुलसचिव (Assistant Registrar)	<p><b>1. Essential qualifications:</b></p> <p>(i) Master's or equivalent degree in any discipline from any government recognized University/ Institute with at least 55% marks or equivalent grade ( 5% relaxation in marks for SC/ST and Differentially abled category)</p> <p>(ii) At least three years administrative experience in supervisory or equivalent cadre in a Group B post (Pay Level 6-9) in a government department/ University/ Educational or research Institution/ Teaching and/ or research experience on a substantive post along with proven administrative capabilities.</p> <p style="text-align: center;"><b>OR</b></p> <p>Three years experience as Section Officer in a central/ state University.</p> <p><b>2. Desirable:</b></p> <p>(i) MBA or CA/ ICWA or MCA or LLB or Ph.D. or B.Tech.</p> <p>(ii) I.T. &amp; Soft skills</p>
2.	तकनीकी सहायक/ फार्म मैनेजर (Technical Assistant/ Farm Manager)	<p><b>1. Essential qualifications:</b></p> <p>B.Sc. Agriculture/ B.Sc. (Hons) Agriculture/ B.Sc. Horticulture/ B.Sc. (Hons.) Horticulture/ B.Sc. Forestry/ B.Sc. (Hons.) Forestry</p>
3.	लैब टेकनीशियन (Lab Technician)	<p><b>1. Essential qualifications:</b></p> <p>B.Sc. Agriculture/ B.Sc. (Hons) Agriculture/ B.Sc. Horticulture/ B.Sc. (Hons.) Horticulture/ B.Sc. Forestry/ B.Sc. (Hons.) Forestry</p>
4.	आशुलिपिक (Stenographer)	<p><b>1. Essential qualifications:</b></p> <p>(i) Senior Secondary from a recognized Board or its equivalent examination, <b>AND</b></p> <p>(ii) 'O' or Higher level Certificate Course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics Government of India.</p>

		<p style="text-align: center;"><b>OR</b></p> <p>Certificate course on Commuter concept by NIELIT, New Delhi</p> <p style="text-align: center;"><b>OR</b></p> <p>Computer Operator &amp; Programming Assistant (COPA)/Data Preparation and Computer Software (DPCS) Certificate organized under National /State Council or Vocational Training scheme.</p> <p style="text-align: center;"><b>OR</b></p> <p>Degree/Diploma Certificate in Computer Science/Computer Application from a University established by law in India or from an Institution recognized by the Government.</p> <p style="text-align: center;"><b>OR</b></p> <p>Senior Secondary Certificate from recognized board of Secondary education in the country, with the computer science/ computer application as one of the subject</p> <p style="text-align: center;"><b>OR</b></p> <p>Diploma in Computer Science and Engineering from a Polytechnic Institution recognized by the Government.</p> <p style="text-align: center;"><b>OR</b></p> <p>Rajasthan state certificate course in Information Technology (RSCIT) conducted by Vardhman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited.</p>
5.	प्रयोगशाला सहायक (Laboratory Assistant)	<p>1. अनिवार्य योग्यता</p> <p>(i) वैकल्पिक विषय विज्ञान/ कृषि सहित सीनियर सेकेण्डरी या पुरानी योजना के अंतर्गत हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण</p>
6.	क्लर्क ग्रेड – द्वितीय (Clerk Grade II)	<p><b>1. Essential qualifications:</b></p> <p>(i) Senior Secondary from a recognized Board or its equivalent examination, <b>AND</b></p> <p>(ii) 'O' or Higher level Certificate Course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics Government of India.</p> <p style="text-align: center;"><b>OR</b></p> <p>Certificate course on Commuter concept by NIELIT, New Delhi</p> <p style="text-align: center;"><b>OR</b></p> <p>Computer Operator &amp; Programming Assistant (COPA)/Data Preparation and Computer Software (DPCS) Certificate organized under National /State Council or Vocational Training scheme.</p> <p style="text-align: center;"><b>OR</b></p> <p>Degree/Diploma Certificate in Computer Science/Computer Application from a University established by law in India or from an Institution recognized by the Government.</p> <p style="text-align: center;"><b>OR</b></p> <p>Senior Secondary Certificate from recognized board of Secondary education in the country, with the computer science/ computer application as one of the subject</p> <p style="text-align: center;"><b>OR</b></p> <p>Diploma in Computer Science and Engineering from a Polytechnic Institution recognized by the Government.</p> <p style="text-align: center;"><b>OR</b></p> <p>Rajasthan state certificate course in Information Technology (RSCIT) conducted by Vardhman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited.</p>
7.	आशुलिपिक ग्रेड III (Stenographer Grade III)	<p><b>1. Essential qualifications:</b></p> <p>(i) Senior Secondary from a recognized Board or its equivalent examination, <b>AND</b></p> <p>(ii) 'O' or Higher level Certificate Course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics Government of India.</p> <p style="text-align: center;"><b>OR</b></p> <p>Certificate course on Commuter concept by NIELIT, New Delhi</p> <p style="text-align: center;"><b>OR</b></p>

		<p>Computer Operator &amp; Programming Assistant (COPA)/Data Preparation and Computer Software (DPCS) Certificate organized under National /State Council or Vocational Training scheme.</p> <p style="text-align: center;"><b>OR</b></p> <p>Degree/Diploma Certificate in Computer Science/Computer Application from a University established by law in India or from an Institution recognized by the Government.</p> <p style="text-align: center;"><b>OR</b></p> <p>Senior Secondary Certificate from recognized board of Secondary education in the country, with the computer science/ computer application as one of the subject</p> <p style="text-align: center;"><b>OR</b></p> <p>Diploma in Computer Science and Engineering from a Polytechnic Institution recognized by the Government.</p> <p style="text-align: center;"><b>OR</b></p> <p>Rajasthan state certificate course in Information Technology (RSCIT) conducted by Vardhman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited</p>
8.	पुस्तकालय सहायक (Library Assistant)	<p>1. अनिवार्य योग्यता</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेन्डरी (10+2) या पुरानी योजना के अंतर्गत हायर सेकेन्डरी परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>(ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा/ डिग्री</p> <p>2. वांछनीय</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से पुस्तकालय विज्ञान/ सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री/ डिप्लोमा</p>
9.	कृषि पर्यवेक्षक (Agriculture Supervisor)	<p>1. अनिवार्य योग्यता</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से कृषि (Agriculture) विषय में सीनियर सेकेन्डरी या पुरानी योजना के अंतर्गत कृषि विषय में हायर सेकेन्डरी उत्तीर्ण</p> <p style="text-align: center;"><b>अथवा</b></p> <p>भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी. एस. सी. (ऑनर्स) कृषि या बी. एस. सी. (ऑनर्स) उद्यान विज्ञान में डिग्री ।</p>
10.	वाहन चालक (Driver)	<p>1. अनिवार्य योग्यता</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेन्डरी (मेट्रीकुलेशन) परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>(ii) नियत सरकारी प्राधिकारी विभाग से भारी वाणिज्यिक/ परिवहन वाहन चलाने का वैध लाइसेन्स प्राप्त । (उम्मीदवार को किसी नियत संस्था द्वारा आयोजित 'वाहन चालन कौशल' की प्रायोगिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी)</p> <p>2. वांछनीय</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्था में तीन वर्ष वाहन चालन का अनुभव ।</p> <p>(ii) सामान्य मोटर मैकेनिक कार्य का अनुभव</p> <p>(iii) आदर्श शारीरिक वजन एवं चश्मे के बिना या चश्मे के साथ 6 X 6 दृष्टि</p>
11.	केयर टेकर (Care Taker)	<p>1. अनिवार्य योग्यता</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण</p>
12.	वाहन चालक टी-1 (Driver / T-1)	<p>1. अनिवार्य योग्यता</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेन्डरी (मेट्रीकुलेशन) परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>(ii) नियत सरकारी प्राधिकारी विभाग से भारी वाणिज्यिक/ परिवहन वाहन चलाने का वैध लाइसेन्स प्राप्त । (उम्मीदवार को किसी नियत संस्था द्वारा आयोजित 'वाहन चालन कौशल' की प्रायोगिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी)</p> <p>2. वांछनीय</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्था में तीन वर्ष वाहन चालन का अनुभव ।</p> <p>(ii) सामान्य मोटर मैकेनिक कार्य का अनुभव</p> <p>(iii) आदर्श शारीरिक वजन एवं चश्मे के बिना या चश्मे के साथ 6 X 6 दृष्टि</p>

(7) **चयन प्रक्रिया** :- विज्ञापित पदों पर अभ्यर्थियों के चयन हेतु चयन प्रक्रिया, लिखित / दक्षता परीक्षा की योजना व पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.aukota.org](http://www.aukota.org) पर उपलब्ध है, जिसे वहां से डाउनलोड किया जा सकता है। इन पदों हेतु परीक्षा स्थान एवं तिथि के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर यथासमय सूचित कर दिया जायेगा।

(8) **आवेदन करने संबंधी अति महत्वपूर्ण निर्देश:-**


1. अभ्यर्थी भारतीय नागरिक ही हो।
2. अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक पदों हेतु आवेदन की स्थिति में प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन पत्र भरा जाएगा एवं शुल्क भी प्रत्येक आवेदित पद के लिए अलग-अलग देय होगा।
3. राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण की विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थी, आवेदन पत्र के सम्बन्धित स्थान पर अपनी श्रेणी इंगित करें एवं राज्य सरकार के प्रावधानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध जाति/ निःशक्तता/अन्य श्रेणी का संबंधित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति अपलोड करें। पिछड़ा वर्ग संबंधी प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
4. आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उसी श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन-पत्र विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
5. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई सूचना के आधार पर ही पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी) की जांच की जायेगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
6. अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. अंकित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से चाहता है। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
7. अभ्यर्थी यथासम्भव मोबाइल नम्बर एवं पत्र व्यवहार के पते में परिवर्तन नहीं करें, यदि परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो इसकी सूचना विश्वविद्यालय को शीघ्र भेजें।
8. आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र ध्यानपूर्वक भरें। आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र अन्तिम रूप से भरने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आशवस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर विश्वविद्यालय द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।
9. अभ्यर्थी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना अपना ऑनलाईन आवेदन करें, अन्यथा **किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होकर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।**
10. आवेदक द्वारा स्वयं/ई-मित्र/अन्य किसी स्रोत से ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलवश त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। किसी भी प्रकार की गलत सूचना भरे जाने पर विश्वविद्यालय अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।
11. विज्ञापित पदों पर चयन प्रक्रिया के अंतर्गत लिखित परीक्षा अथवा अन्य कोई छंटनी ( Screening) हेतु निर्धारित परीक्षा/ साक्षात्कार के संबंध में दिशानिर्देश पृथक से जारी कर दिए जाएंगे। इन दिशानिर्देशों को इस विज्ञापन का ही भाग/ हिस्सा माना जाएगा।
12. भूतपूर्व सैनिकों हेतु विश्वविद्यालय के सेवा नियमों में जहां भी कंप्यूटर संबंधी अर्हता निर्धारित है, में छूट का प्रावधान कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 22-12-2022 के अनुसार देय होगा।
13. विज्ञापित के संबंध में संशोधन, अगर कोई हो तथा भर्ती संबंधी अन्य सूचना विवरण को विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। अभ्यर्थी नियमित रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।
14. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से भरे हुए आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आदि की समुचित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित पठनीय प्रतिलिपियां अपलोड करनी होगी तथा इन्हें परीक्षा परिणाम आने के बाद मैरिट में आने वाले अभ्यर्थियों से विश्वविद्यालय द्वारा माँगे जाने पर मूल रूप में प्रस्तुत करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन के साथ उक्त प्रमाणपत्रों के अभाव में अथवा अपठनीय प्रमाण पत्र अपलोड करने पर आवेदक के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
15. परीक्षा के लिये प्रवेश पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि विश्वविद्यालय द्वारा उसकी उम्मीदवारी सही मान ली गयी है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित प्रविष्टियां विश्वविद्यालय द्वारा सही मान ली गई हैं। विश्वविद्यालय द्वारा आवेदकों के पात्रता की जांच अलग से की जावेगी। पात्रता की जांच करते समय उम्मीदवार को आवेदन पत्र में संलग्न समस्त दस्तावेजों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।



16. आवेदक उक्त पद हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निश्चित निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड/मापदण्ड पूर्ण करता हो। साथ ही इस विज्ञापन में दी गई उक्त वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव को विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लेखित अनुसार शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण-पत्र होने पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा।
17. आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।
18. यदि किसी अभ्यर्थी को पूर्व में न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में आयु सीमा में शिथिलता का लाभ दिए जाने के आदेश दिए गए हैं तो ऐसी स्थिति में संबंधित आवेदक अलग से आवेदन के सात दिवस के भीतर निम्न हस्ताक्षरकर्ता को लिखित में सूचित करें।
19. "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" / राजस्थान संपर्क पोर्टल अथवा अन्य किसी माध्यम द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर इस भर्ती से संबंधित वांछित सूचना भर्ती प्रक्रिया के लम्बनकाल/प्रक्रियाधीन के दौरान प्रदान नहीं की जा सकेगी। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात वांछित सूचना नियमानुसार प्रदान की जा सकेगी।
20. सीधी भर्ती द्वारा विश्वविद्यालय सेवा में नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के रूप में की जायेगी इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न दे कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषप्रद पूर्ण नहीं होने की स्थिति में परिवीक्षाकाल में नियमानुसार वृद्धि की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि की सफलतापूर्वक समाप्ति पर ही पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते विश्वविद्यालय/ राज्य सरकार के नियमानुसार देय होंगे। वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु परिवीक्षा अवधि की गणना नहीं की जायेगी।
21. आवेदक को विज्ञापन में उल्लिखित अनुसार आवश्यक न्यूनतम योग्यता व अनुभव प्रमाण पत्र यथासमय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
22. उपर्युक्त पदों पर भर्ती के लिये उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए। इस हेतु नियमानुसार आरोग्य प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।
23. विश्वविद्यालय सेवा में आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे कि वह उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य हो सके। इसके लिए उसे किन्हीं दो गणमान्य व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित सदचरित्र प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।
24. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ एक बार परीक्षा शुल्क जमा करवा दिए जाने के बाद यह किसी भी परिस्थिति में लौटाया (refund) नहीं जाएगा/ वापस देय नहीं होगा।
25. इस विज्ञप्ति के माध्यम से नियुक्त किसी कार्मिक को विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में किसी भी केन्द्र / इकाई / कार्यालय में पदस्थापित किया जा सकेगा।
26. आवेदक द्वारा अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ताएं धारण करने से ही किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिये बुलाने का अधिकार नहीं हो जाता है। प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा पदों की संख्या के अनुसार यदि अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक है और विश्वविद्यालय द्वारा सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेना सुविधाजनक अथवा संभव न हो तो, विश्वविद्यालय को यह अधिकार है कि वे ऐसे आवेदन पत्रों की छंटनी (screening) उच्च योग्यता एवं अनुभव के आधार पर अथवा लिखित परीक्षा के आधार पर की जा सकती है।
27. साक्षात्कार/ दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित नहीं किए जाने अथवा परिणाम रोकने के कारणों के संबंध में किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार पर विश्वविद्यालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। संबंधित जानकारी हेतु आवेदक नियमित रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।
28. उक्त पदों पर भर्ती के लिए छंटनी हेतु मापदण्ड एवं प्रक्रिया का निर्धारण किये जाने तथा बिना कारण निर्दिष्ट किए विज्ञापित पद पर भर्ती नहीं करने का अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होगा।
29. रोस्टर का ध्यान रखते हुए पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
30. इस विज्ञप्ति के प्रसारण एवं चयन प्रक्रिया के समापन तक रिक्तियों में विधिक तौर पर अन्तर आने की स्थिति में रिक्त पदों की गणना चयन प्रक्रिया के समापन के पश्चात की जायेगी।
31. भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी भी योजना/स्कीम के पद योजना, स्कीम के समाप्त होने के साथ स्वतः ही समाप्त माने जायेंगे।
32. उक्त पदों हेतु चयन प्रक्रिया में हुई चूक अथवा त्रुटि के ज्ञात होने की स्थिति में किसी भी स्तर पर, यहाँ तक कि नियुक्ति पत्र जारी होने के पश्चात भी अभ्यर्थी को प्रदत्त/ जारी किसी भी संचारण अथवा पत्र व्यवहार को संशोधित, वापस लेने अथवा निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होगा।
33. किसी भी अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा/ साक्षात्कार/ दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता व अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।
34. इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियुक्ति/ चयन हेतु किसी प्रकार की सिफारिश/ दबाव की स्थिति में अभ्यर्थी को अयोग्य (disqualify) कर दिया जायेगा।



35. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे/संतान हों, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चों/सन्तानों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों/सन्तानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा/सन्तान है, किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे/सन्ताने पैदा होते हैं, वहाँ बच्चों/सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उपनियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरहित नहीं है तो उसे निरहित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।
36. विश्वविद्यालय के नियमानुसार जीवित सन्तानों की संख्या की बाध्यता सम्बन्धी नियम एवं राज्य सरकार में कार्मिकों के आचरण के सम्बन्ध में प्रवर्तित अन्य नियम लागू होंगे।
37. यदि किसी अभ्यर्थी, परीक्षार्थी को किसी भी भर्ती / परीक्षा बोर्ड/आयोग से अनुचित साधनों के प्रयोग / उपभोग या अनुचित अमद्र व्यवहार के कारण भविष्य की परीक्षाओं के लिये, साक्षात्कारों आदि से विवर्जित (debarred) किया गया हो तो उसे विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
38. नए भर्ती/ नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए विश्वविद्यालय के नियमानुसार पेंशन योजना (Pension scheme) लागू होगी।
39. विश्वविद्यालय/ राज्य सरकार के समय समय पर प्रचलित नियम व प्रावधान उक्त नियुक्तियों पर लागू होंगे।
40. किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि विश्वविद्यालय संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
41. किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसकी पूर्व में पत्नी जीवित हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि विश्वविद्यालय संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
42. कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/ होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया हो।
43. पूर्व से राजकीय सेवा में नियोजित अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के साथ अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें।
44. इस भर्ती प्रक्रिया/ विज्ञापन से संबंधित समस्त न्यायिक मामलों का क्षेत्राधिकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर होगा।

  
कुलसचिव

## शपथ-पत्र

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नि/श्री.....कृषि विश्वविद्यालय, कोटा (राज.) द्वारा जारी विज्ञापन क्रमांक ..... दिनांक ..... के सन्दर्भ में शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. मेरे द्वारा कृषि विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा जारी विज्ञापन संख्या कृविको/2017/03/8321 दिनांक 12.10.2017 के ..... पद के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उसमें ..... रुपये का ऑनलाइन भुगतान किया था जिसकी ट्रांजेक्शन आई डी..... थी।

अथवा

मेरे द्वारा कृषि विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा जारी विज्ञापन संख्या कृविको /2018/02 दिनांक 25.06.2018 के तहत ..... पद के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उसमें ..... रुपये का ऑनलाइन भुगतान किया था जिसकी ट्रांजेक्शन आई डी.....थी।

2. मैंने दिनांक..... (विज्ञापन जारी करने की दिनांक) तक किसी निगम /बोर्ड /सरकारी /अर्द्ध सरकारी /स्वायत्तशासी संस्था में नियोजन प्राप्त नहीं किया है।
3. यदि उक्त कथन संख्या 02 मिथ्या पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय, कोटा को अधिकृत करता/करती हूँ।
4. उपरोक्त सूचना अनुसार, मैं, अधिकतम आयु सीमा में कृषि विश्वविद्यालय, कोटा के वर्तमान विज्ञापन संख्या ..... दिनांक ..... के अन्तर्गत छूट चाहता/चाहती हूँ।

हस्ताक्षर

(सत्यापन नोटेरी द्वारा)

हस्ताक्षर

शपथ ग्रहिता